



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21072022-237423
CG-CG-E-21072022-237423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3096]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3096]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 20 जुलाई 2022

का.आ. 3256(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	बोरीदंड—अंबिकापुर (सूरजपुर) दोहरीकरण (79.90 कि.मी.)

[फा. सं. डीवाईसीई/सी/सर्वे/बीएसपी/बोरीदंड-सूरजपुर दोहरीकरण/भूमि अधिग्रहण]

आर. एन. सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. RAILWAY)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 20th July, 2022

S.O. 3256(E).—In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Projects in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in official gazette.

TABLE

Serial Number	Name of Project
(1)	(2)
1.	Boridand – Ambikapur (Surajpur) Doubling (79.90 Km.)

[F. No. Dy.CE/C/BSP/Boridand-Surajpur Doubling/land acquisition]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)